बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर,ब्लॉक रोड नं0–2 पटना 800001

प्रत्रांक 9470 / पटना, दिनांक– 12/9/18

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम।

विषयः– **क्षति/गबन के मामले में संबंधित कर्मियों के विरूद्ध तुरंत प्राथमिकी एवं नीलामपत्र वाद दायर करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **निगम मुख्यालय का पत्रांक–4907, दिनांक–17.05.2018,**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रसंगाधीन पत्र का अवलोकन किया जाय जिसमें गोदामों में खाद्यान्न की क्षति/गबन के संबंध में निगम कर्मियों के विरूद्ध असमायोजित अग्रिम राशि का आकलन कर उसकी वसूली का कार्रवाई कर्मियों के सेवा निवृत होने के 3 माह पूर्व करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इस संबंध में अबतक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि निगम कर्मियों के विरूद्ध क्षति/गबन, ब्याज एवं असमायोजित अग्रिम राशि का आकलन कर इसकी वसूली की कार्रवाई संबंधित कर्मियों के सेवानिवृति के 3 माह पूर्व संसूचित किया जाय। अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही संबंधित जिला प्रबंधक की होगी।

अनुलम्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/9/2018

(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांकः– 06:01:51:01:2016–4907 दावा/दिनांक : 17/5/18

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः– निगम निदेशक पर्षद की हुई 110वीं एवं 132वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार खाद्यान्न का क्षति/गबन की राशि एवं ब्याज का आंकलन कर वसूली की कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्यालय पत्रांक–3696 दिनांक–29.06.2000, 7589 दिनांक–12.12.2001, 5015 दिनांक–11.08.2001, 6220 दिनांक–17.09.2002, 4706 दिनांक–30.07.2003, 2515 दिनांक–05.04.2004, 2862 दिनांक–24.04.2004, 956 दिनांक–15.02.2007, 9442 दिनांक–03.11.2009, 7218 दिनांक–10.08.2010, 2269 दिनांक–05.03.2013 एवं ज्ञापांक–03/गो0 दिनांक–30.03.2013

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि निगम गोदामों में काफी मात्रा में खाद्यान्न की क्षति/गबन रहने के बावजूद भी निगम कार्मिकों के विरूद्ध क्षति/गबन, ब्याज एवं असमायोजित अग्रिम राशि का आंकलन एवं इसकी वसूली की कार्रवाई संबंधित कर्मी के सेवा काल में जिला प्रबंधकों द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि एतत्संबंधि प्रासंगिक पत्रों द्वारा जिला प्रबंधकों को निदेशित किया गया है। प्रायः सेवा निवृति के पश्चात संबंधित कर्मी के विरूद्ध क्षति/गबन एवं असमायोजित अग्रिम की राशि वसूली हेतु जिला प्रबंधकों द्वारा मुख्यालय प्रतिवेदित किया जाता है, इसके फलस्वरूप संबंधित कर्मी को देय सेवान्त लाभ के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो जाया करता है और संबंधित कर्मी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर कर दी जाती है। सेवा निवृति के पश्चात् वसूलनीय राशि प्रतिवेदित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे अमान्य कर दिया जाता है।

प्रासंगिक पत्रांक–2269 दिनांक–05.03.2013 द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है कि आप अपने अधिनस्थ सभी श्रेणी के कार्मिकों को यह निदेशित करें, कि वे सेवा निवृत होने के तीन माह पूर्व अपने पदस्थापित सभी जिला से पूर्ण पदस्थापन काल का क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार की वसूलनीय राशि एवं उसके विरूद्ध हुई वसूली की वर्षवार विवरणी प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दावा शाखा निगम मुख्यालय को समर्पित करें, ताकि मुख्यालय स्तर से जाँचोंपरान्त वसूलनीय राशि का आंकलन उनके सेवा निवृति के पूर्व की जा सके तथा उन्हें ससमय सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सके। **इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा निवृति के तीन माह पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र दावा शाखा को उपलब्ध नहीं कराने एवं इसके कारण सेवान्त लाभ के राशि के भुगतान में विलम्ब होने के लिए संबंधित जिला प्रबंधक एवं सेवा निवृत होने वाले कार्मिक दोनों जिम्मेवार होगें।**

अतः निदेश है कि निगम कर्मियों के विरूद्ध उनके सेवाकाल में ही गोदाम का प्रभार के आदान–प्रदान के समय तथा समय–समय पर गोदामों का निरीक्षण एवं गोदाम अभिलेखों की जाँच कर क्षति/गबन एवं असमायोजित अग्रिम की वसूलनीय राशि का आंकलन करते हुए प्रासंगिक पत्रों में वर्णित निदेश के अनुसार सूद सहित इसकी वसूली की कार्रवाई कार्मिक को भुगतेय राशि यथा वेतन, सेवान्त लाभ इत्यादि से की जाय एवं आवश्यक होने पर इस हेतु प्राथमिकी एवं नीलामपत्रवाद दायर करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि गोदाम अभिलेखों में किसी प्रकार का छेड़–छाड़ न हो। कार्मिकों का स्थानान्तरण होने पर उनके विरूद्ध वसूलनीय राशि की सूचना स्पष्टरूप से उनके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) में भी अंकित करना सुनिश्चित करें, ताकि राशि की वसूली स्थानान्तरित जिला में हो सके।

अनुलग्नकः– यथा प्रासंगिक सभी
पत्रों की प्रतियाँ।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

Nandan-Dawa-Desk 445